न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी भागवंती जेठवानी, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 7/2015 दायरा दिनांक : 02.01.2015

उनवान

डाली बाई पत्नी नन्दा, जाति धोबी, निवासी गुराडी, तहसील पचपहाड, तहसील पिडावा, जिला झालावाड

.... अपीलांट

बनाम

1— गंगाबाई पुत्री नानूराम, जाति धोबी, निवासी सातलखेडी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

2— राधेश्याम पुत्र नानूराम, जाति धोबी, निवासी रावतभाटा

3— कलाबाई पुत्री नानूराम पत्नी मदनलाल, जाति धोबी, निवासी रावतभाटा मृतक जर्ये कायम मुकामान —

3/1— सुरेश पुत्र मदनलाल, जाति धोबी, निवासी रावतभाटा

3/2— शांति बाई पुत्री मदनलाल, जाति धोबी, निवासी रावतभाटा

3/3— गुड्डी बाई पुत्री मदनलाल, जाति धोबी, निवासी रावतभाटा

3/4— कृष्णा बाई पुत्री मदनलाल, जाति धोबी, निवासी रावतभाटा

3/5— मदन लाल जाति धोबी, निवासी रावतभाटा

4— शांति बाई पुत्री नानूराम पत्नी बाबू लाल, जाति धोबी, निवासी गुराडी हाल मुकाम जुल्मी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

5— विनोद पुत्र सोहन बाई, जाति धोबी, निवासी जुल्मी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

6— राकेश पुत्र सोहन बाई, जाति धोबी, निवासी जुल्मी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

7— दीपू पुत्र सोहन बाई, जाति धोबी, निवासी जुल्मी, तहसील रामगंजमण्डी, जिला कोटा

8— मोहनलाल पुत्र नानूराम, जाति धोबी, निवासी चारभुजा रावतभाटा

9— सरकार जर्ये तहसीलदार पचपहाड, तहसील पचपहाड

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित — श्री मंसूर आलम अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री शैलेन्द्र पोषवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट की ओर से

निर्णय दिनांक : 22.12.2017

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या — 175/2006 निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2009 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट नम्बर 1 गंगा बाई ने अपीलांट एवं अन्य के खिलाफ एक दावा अन्तर्गत धारा 88 व 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम गुराडी, तहसील पचपहाड में जमाबंदी संख्या 79 नया 34 पुरानी के अनुसार खसरा नम्बर 86 रकबा 17 बिस्वा, खसरा नम्बर 87 रकबा 10 बिस्वा, खसरा नम्बर 171 रकबा 1 बीघा 19 बिस्वा कुल 3 किता की 3 बीघा 6 बिस्वा आराजी स्थित है

जो विवादित है । आराजी पैतृक है जो नानूराम के खाते में दर्ज थी । नानूराम के फौत हो जाने पर फोती इंतकाल दिनांक 23.11.2002 को खोला जाकर आराजी प्रतिवादी नम्बर 1 और 2 के खाते में दर्ज की गई जबकि नानूराम के वादी एवं प्रतिवादी नम्बर 1 लगायत 7 कानूनी वारिस हैं । इंतकाल वादी के अधिकारों के प्रति प्रभावशून्य है । वादग्रस्त आराजी में वादी का 1/6 हिस्सा निहित है । अतः वादिनी को 1/6 हिस्से का सहखातेदार घोषित कर खाता पृथक किया जाये । अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी की ओर से जवाबदावा मय काउंटर क्लेम पेश किया गया और न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 16.03.2009 से काउंटर क्लेम प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 आंशिक रूप से स्वीकार किया है, जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील पेश की गई है ।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 5, 6, 7 का काउंटर क्लेम डिक्री किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सही तनकी नहीं बनायी है । अपीलांट की आपत्ति थी कि बेचान दिनांक 30.11.2004 का है जो पंजीकृत है जिसे सिविल न्यायालय ही दुरूस्त कर सकता है । इस पर कोई तनकी कायम नहीं की गई है । काउंटर क्लेम के सम्बन्ध में कोई तनकी कायम नहीं की गई है । प्रतिवादीगण के मध्य काउंटर क्लेम चलने योग्य नहीं होता हे । तनकी नम्बर 1 और 2 का निर्णय सही नहीं किया है । प्रतिवादी नम्बर 8 को गवाहों से क्रोस करने का अवसर नहीं दिया है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

अपील के साथ धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर यह कथन किया गया है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 06.03.2009 का है जिसकी सूचना वकील साहब के द्वारा नहीं दी गई । दिनांक 20.11.2014 को पटवारी के द्वारा निर्णय की

जानकारी दी गई । जानकारी की तिथि से अपील अवधि मध्य है । अतः विलम्ब का शमन किया जाये ।

अपील प्राप्त होने पर सब्जेक्ट टू लिमिटेशन दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 5, 6, 7 का काउंटर क्लेम था जिसे स्वीकार किया गया है । गवाहों से जिरह करने का अवसर नहीं दिया गया । दस्तावेज एक्जीविट नहीं करवाये गये हैं । अपीलांट अधीनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी नम्बर 8 है । पंजीकृत विक्रय पत्र से आराजी क्रय की है जिसको सिविल न्यायालय के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है । तनकी नम्बर 1 और 2 का निर्णय नहीं किया गया है । प्रतिवादी के खिलाफ प्रतिवादी का काउंटर क्लेम स्वीकार किया गया है जो त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त किया जाये ।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट नम्बर 8 के द्वारा कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है । अपील सारहीन होने से खारिज की जाये ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है ।

अधीनस्थ न्यायालय में वादिनी ने स्वयं को नानूराम की पुत्री बताते हुए दावा पेश किया और उसमें प्रतिवादी नम्बर 5, 6, 7 ने भी 1/6 हिस्से की मांग करते हुए काउंटर क्लेम पेश किया । प्रतिवादी नम्बर 8 जो कि अपीलांट है उनके द्वारा भी जवाबदावा पेश किया गया और यह कथन किया गया कि उनके द्वारा पंजीकृत विक्रय पत्र आराजी क्रय की गई है जिसको सिविल न्यायालय के द्वारा ही निरस्त किया जा सकता है । अधीनस्थ न्यायालय ने दावे एवं जवाबदावे के आधार पर निम्न तनकीयात कायम की है –

तनकी नम्बर 1– आया वादिनी प्रतिवादी 1 लगायत 7 के साथ खातेदार घोषित होने व बंटवारा कराने की पात्रता रखती है । ... वादी

तनकी नम्बर 2– आया बेचान पत्र अवैध होने से प्रभावशून्य घोषित होने योग्य है । .... वादी

तनकी नम्बर 3– आया वादिनी अपने व्यवहार से अपने अधिकार बहक समाप्त कर चुकी है । ..... प्रतिवादी

तनकी नम्बर 4– अनुतोष

इसमें से तनकी नम्बर 1 और 2 को वादी के खिलाफ तय किया है और तनकी नम्बर 3 को प्रतिवादी के खिलाफ तय किया है । प्रतिवादी नम्बर 5, 6, 7 का दावा आंशिक रूप से डिक्री किया है

जबकि उनकी ओर से पेश किये गये जवाबदावे के आधार पर कोई तनकी कायम नहीं की है । दिनांक 19.05.2008 की आदेशिका के अनुसार वादी का दावा अंदम साक्ष्य में खारिज किया गया है और वकील प्रतिवादी को काउंटर क्लेम के लिए अवसर दिया गया है । प्रतिवादीगण के बयान डी डब्ल्यू 1, डी डब्ल्यू 2 कराये गये है। दस्तावेज एक्जीविट नहीं करवाये गये हैं । यहां यह भी उल्लेखनीय है कि जिन प्रतिवादीगण का काउंटर क्लेम आंशिक रूप से स्वीकार किया गया है उनके काउंटर क्लेम के आधार पर कोई भी तनकी कायम नहीं की है । इन तथ्यों के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय त्रुटिपूर्ण है एवं खारिज होने योग्य है ।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 16.03.2009 अपास्त किया जाता है । प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि प्रतिवादीगण 5, 6, 7 के जवाबदावे एवं काउंटर क्लेम के आधार पर अतिरिक्त तनकी कायम करें । उन तनकीयात पर उभयपक्ष को साक्ष्य पेश करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 28.02.2018 को उपस्थित होवें ।

निर्णय आज दिनांक 22.12.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागवंती जेठवानी)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा